

मत्स्य निदेशालय

नया सचिवालय, विकास भवन, बेली रोड, बिहार, पटना।

प्रेषक,

निदेशक मत्स्य,
बिहार, पटना।

सेवा में,

सं० मत्स्य निदेशक (मु०),
मत्स्य निदेशालय, बिहार, पटना।

मत्स्य/पटना, दिनांक 13.01.2026/

विषय : वित्तीय वर्ष 2025-26 मुख्यमंत्री समेकित चौर विकास योजना ₹3119.42 लाख (इकतीस करोड़ उन्नीस लाख बयालीस हजार रु०) मात्र की लागत व्यय पर स्वीकृत योजना हेतु तृतीय चरण में कुल ₹1091.797 लाख (दस करोड़ इक्यानवे लाख उनासी हजार सात सौ रु०) मात्र आवंटन की स्वीकृति।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के अन्तर्गत संलग्न विवरणी-1 के अनुसार चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में व्यय को वहन करने हेतु विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-6एस०एस०(6)०७/2020-1992 दिनांक-07.05.2025 के आलोक में योजनान्तर्गत स्वीकृत कुल ₹3119.42 लाख (इकतीस करोड़ उन्नीस लाख बयालीस हजार रु०) मात्र के अन्तर्गत तृतीय चरण में कुल ₹1091.797 लाख (दस करोड़ इक्यानवे लाख उनासी हजार सात सौ रु०) मात्र का आवंटन, व्यय का वहन करने हेतु आवंटित किया जाता है।

2. इस आवंटित राशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में मांग सं०- 02, मुख्य शीर्ष-2405-मछली पालन, उपमुख्य शीर्ष-00, लघुशीर्ष-101-अन्तर्देशीय मछली पालन, उपशीर्ष-0117-मत्स्य सम्पदा-सात निश्चय-2, विपत्र कोड-02.2405001010117 विषय शीर्ष-0117.13.01-कार्यलय व्यय मद, विषय शीर्ष-0117.20.03-प्रशिक्षण व्यय मद एवं विषयशीर्ष-0117.33.01-सब्सिडी मद, तथा मांग सं०-02, मुख्य शीर्ष-2405-मछली पालन, उपमुख्य शीर्ष-00, लघुशीर्ष-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, उपशीर्ष-0102-मत्स्य सम्पदा-सात निश्चय-2, विपत्र कोड-02.2405007890102 विषय शीर्ष-0102.33.01-सब्सिडी मद तथा मांग सं०-02, मुख्य शीर्ष-2405-मछली पालन, उपमुख्य शीर्ष-00, लघुशीर्ष-796-जनजातीय क्षेत्र उप योजना, उपशीर्ष-0110-मत्स्य सम्पदा-सात निश्चय-2, विपत्र कोड-02.2405007960110 विषय शीर्ष-0110.33.01-सब्सिडी मद के अंतर्गत विकलित किया जाएगा।
3. योजनान्तर्गत आवंटित राशि को बी०एल०डी०ए० के पी०एल० खाता में संचित कर व्यय की जाएगी जिसे लक्ष्यानुसार जिलों को अंतरित किया जाएगा।
4. वित्त विभाग के पत्रांक-2561 वि०(2) दिनांक 17.04.1998, वित्त विभाग का पत्रांक 345 दि० 25.03.2021 (जिसके तहत योजनान्तर्गत उपबंधित राशि से अधिक व्यय निषेध होगा) के आलोक में राशि आवंटित की जा रही है तथा राशि की निकासी में उक्त परिपत्र के प्रत्येक अनुदेश का अनुपालन आपके द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा :-
5. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का यह दायित्व है कि वित्तीय नियमावली के भाग-1 के नियम-475 का अनुपालन दृढ़ता पूर्वक करें, ताकि व्यय पर नियंत्रण रखा जा सके और किसी भी हालत में आवंटित राशि से अधिक व्यय नहीं हो।
6. आवंटित राशि में हुए व्यय की सूचना टी०भी० नम्बर एवं तिथि के साथ अधोहस्ताक्षरी को प्रत्येक माह की 5वीं तारीख तक निश्चित रूप से उपलब्ध करा दें अन्यथा इसकी सारी जबाबदेही आपकी होगी।
7. वित्तीय वर्ष 2025-26 का प्रत्यर्पण प्रतिवेदन 25.03.2026 तक अवश्य भेज दें।
8. राशि का विचलन अन्य मदों में नहीं किया जाएगा।
9. निकासी की गई राशि का विस्तृत विपत्र निर्धारित अवधि में महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) को विधिवत समर्पित किया जाएगा।

अनुलग्नक :-विवरणी-1 (एक प्रति)

विश्वासभाजन

निदेशक मत्स्य

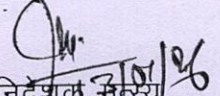
ज्ञापांक : म०/बजट-08/202575...../मत्स्य/पटना, दिनांक : 13.01.2026...../

प्रतिलिपि : विवरणी- I की प्रति के साथ महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


निदेशक मत्स्य

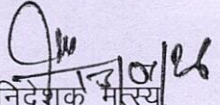
ज्ञापांक : म०/बजट-08/202575...../मत्स्य/पटना, दिनांक : 13.01.2026...../

प्रतिलिपि : विवरणी- I की प्रति के साथ कोषागार पदाधिकारी, (संबंधित) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


निदेशक मत्स्य

ज्ञापांक : म०/बजट-08/202575...../मत्स्य/पटना, दिनांक : 13.01.2026...../

प्रतिलिपि : विवरणी- I की प्रति के साथ जिला पदाधिकारी, (संबंधित)/आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग, बिहार, पटना/प्रमंडलीय आयुक्त, (संबंधित) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


निदेशक मत्स्य

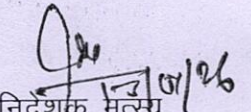
ज्ञापांक : म०/बजट-08/202575...../मत्स्य/पटना, दिनांक : 13.01.2026...../

प्रतिलिपि : विवरणी- I की प्रति के साथ विभागीय योजना एवं बजट शाखा, डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग/संयुक्त मत्स्य निदेशक (सभी)/उप मत्स्य निदेशक, (सभी)/जिला मत्स्य पदाधिकारी -सह- मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी (संबंधित)/रोकड़पाल, मत्स्य निदेशालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


निदेशक मत्स्य

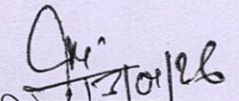
ज्ञापांक : म०/बजट-08/202575...../मत्स्य/पटना, दिनांक : 13.01.2026...../

प्रतिलिपि : विवरणी- I की प्रति के साथ सचिव, डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


निदेशक मत्स्य

ज्ञापांक : म०/बजट-08/202575...../मत्स्य/पटना, दिनांक : 13.01.2026...../

प्रतिलिपि : आई0टी0 मैनेजर, डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं अनुरोध है कि इसे अनुलग्नक सहित विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने की कार्रवाई की जाए।


निदेशक मत्स्य



विवरणी-I
वित्तीय वर्ष 2025-26 में मुख्यमंत्री समेकित चौर विकास योजना हेतु जिलावार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य।

नीजी चौर इनपुट सहित (हे० में) इकाई लागत 8.70 लाख/हे० (लाभुक आधारित)

(राशि लाख में)

नीजी चौर इनपुट सहित (हे० में) इकाई लागत 8.70 लाख/हे० (लाभुक आधारित)										(राशि लाख में)										
क्र०	जिला	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी	मांग सं०- 02, मुख्य शीर्ष-2405-मछली पालन, उपमुख्य शीर्ष-00, लघुशीर्ष-101- अन्तर्देशीय मछली पालन, उपशीर्ष-0117-मत्स्य सम्पदा-सात निश्चय-2, विपत्र कोड-02.2405001010117.										मांग सं०-02, मुख्य शीर्ष-2405-मछली पालन, उपमुख्य शीर्ष-00, लघुशीर्ष-789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, उपशीर्ष-0102-मत्स्य सम्पदा-सात निश्चय-2, विपत्र कोड-02.2405007890102				मांग सं०- 02, मुख्य शीर्ष-2405-मछली पालन, उपमुख्य शीर्ष-00, लघुशीर्ष-796- जनजातीय क्षेत्र उप योजना, उपशीर्ष-0110-मत्स्य सम्पदा-सात निश्चय-2, विपत्र कोड-02.2405007960110			
			विषय शीर्ष 0117.33.01-सब्सिडी मद							प्रशासनिक व्यय			विषय शीर्ष 0102.33.01-सब्सिडी मद				विषय शीर्ष 0110.33.01-सब्सिडी मद			
			अन्य वर्ग (अनुदान 50 प्रतिशत)			अति पिछड़ी जाति (अनुदान 70 प्रतिशत)			कुल वर्तमान आवंटन (35 प्रतिशत) (6+9)	0117.13.01-कार्यालय व्यय		0117.20.03-प्रशिक्षण व्यय		अनु०जाति (अनुदान 70 प्रतिशत)		कुल वर्तमान आवंटन (35 प्रतिशत)	अनु० जनजाति (अनुदान 70 प्रतिशत)		कुल वर्तमान आवंटन (35 प्रतिशत)	
			जलक्षेत्र (हे०)	अनुदान राशि	वर्तमान आवंटन (35 प्रतिशत)	जलक्षेत्र (हे०)	अनुदान राशि	वर्तमान आवंटन (35 प्रतिशत)		स्वीकृत राशि	वर्तमान आवंटन (35 प्रतिशत)	स्वीकृत राशि	वर्तमान आवंटन (35 प्रतिशत)	जलक्षेत्र (हे०)	अनुदान राशि		जलक्षेत्र (हे०)	अनुदान राशि		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1	पटना	निदेशक मत्स्य, बिहार, पटना।	10.00	43.50000	15.22500	3.00	18.27000	6.39450	21.61950	1.26300	0.44205	0.25000	0.08750	2.00	12.18000	4.26300			0.00000	
2	सुपौल		22.00	95.70000	33.49500	10.00	60.90000	21.31500	54.81000	3.11400	1.08990	0.61000	0.21350	5.00	30.45000	10.65750			0.00000	
3	मधेपुरा		5.00	21.75000	7.61250	1.00	6.09000	2.13150	9.74400	0.50500	0.17675	0.10000	0.03500	0.00	0.00000	0.00000			0.00000	
4	सहरसा		25.00	108.75000	38.06250	15.00	91.35000	31.97250	70.03500	4.62800	1.61980	0.91000	0.31850	2.00	12.18000	4.26300			0.00000	
5	पश्चिम चम्पारण		15.00	65.25000	22.83750	3.00	18.27000	6.39450	29.23200	1.68300	0.58905	0.34000	0.11900	1.00	6.09000	2.13150	1	6.09000	2.13150	
6	पूर्वी चम्पारण		20.00	87.00000	30.45000	15.00	91.35000	31.97250	62.42250	3.78800	1.32580	0.75000	0.26250	10.00	60.90000	21.31500			0.00000	
7	सीतामढ़ी		20.00	87.00000	30.45000	10.00	60.90000	21.31500	51.76500	3.78800	1.32580	0.75000	0.26250	3.00	18.27000	6.39450			0.00000	
8	मुजफ्फरपुर		20.00	87.00000	30.45000	15.00	91.35000	31.97250	62.42250	3.36700	1.17845	0.66000	0.23100	5.00	30.45000	10.65750			0.00000	
9	वैशाली		15.00	65.25000	22.83750	7.00	42.63000	14.92050	37.75800	2.02000	0.70700	0.40000	0.14000	2.00	12.18000	4.26300			0.00000	
10	समस्तीपुर		15.00	65.25000	22.83750	10.00	60.90000	21.31500	44.15250	1.51500	0.53025	0.30000	0.10500	5.00	30.45000	10.65750			0.00000	
11	मधुबनी		16.00	69.60000	24.36000	15.00	91.35000	31.97250	56.33250	2.10400	0.73640	0.42000	0.14700	5.00	30.45000	10.65750			0.00000	
12	दरभंगा		15.00	65.25000	22.83750	5.00	30.45000	10.65750	33.49500	1.85200	0.64820	0.37000	0.12950	2.00	12.18000	4.26300			0.00000	
13	अररिया		10.00	43.50000	15.22500	5.00	30.45000	10.65750	25.88250	1.09400	0.38290	0.22000	0.07700	3.00	18.27000	6.39450	1	6.09000	2.13150	
14	किशनगंज		13.00	56.55000	19.79250	11.00	66.99000	23.44650	43.23900	1.43100	0.50085	0.29000	0.10150	3.00	18.27000	6.39450	1	6.09000	2.13150	
15	पूर्णियाँ		10.00	43.50000	15.22500	10.00	60.90000	21.31500	36.54000	2.02000	0.70700	0.40000	0.14000	2.00	12.18000	4.26300	2	12.18000	4.26300	
16	कटिहार		10.00	43.50000	15.22500	6.00	36.54000	12.78900	28.01400	1.76800	0.61880	0.35000	0.12250	4.00	24.36000	8.52600	1	6.09000	2.13150	

नीजी चौर इनपुट सहित (हे० में) इकाई लागत 8.70 लाख/ हे० (लाभुक आधारित)

क्र०	जिला	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी	मांग सं०- 02, मुख्य शीर्ष-2405-मछली पालन, उपमुख्य शीर्ष-00, लघुशीर्ष-101- अन्तर्देशीय मछली पालन, उपशीर्ष-0117-मत्स्य सम्पदा- सात निश्चय-2, विपत्र कोड-02.2405001010117.										मांग सं०-02, मुख्य शीर्ष-2405-मछली पालन, उपमुख्य शीर्ष-00, लघुशीर्ष-789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, उपशीर्ष-0102-मत्स्य सम्पदा-सात निश्चय-2, विपत्र कोड-02. 2405007890102				मांग सं०- 02, मुख्य शीर्ष-2405-मछली पालन, उपमुख्य शीर्ष-00, लघुशीर्ष-796- जनजातीय क्षेत्र उप योजना, उपशीर्ष-0110-मत्स्य सम्पदा- सात निश्चय-2, विपत्र कोड-02. 2405007960110			
			विषय शीर्ष 0117.33.01-सब्सिडी मद							प्रशासनिक व्यय			विषय शीर्ष 0102.33.01-सब्सिडी मद				विषय शीर्ष 0110.33.01-सब्सिडी मद			
			अन्य वर्ग (अनुदान 50 प्रतिशत)			अति पिछड़ी जाति (अनुदान 70 प्रतिशत)			कुल वर्तमान आवंटन (35 प्रतिशत) (6+9)	0117.13.01-कार्यालय व्यय		0117.20.03-प्रशिक्षण व्यय		अनु०जाति (अनुदान 70 प्रतिशत)		कुल वर्तमान आवंटन (35 प्रतिशत)	अनु० जनजाति (अनुदान 70 प्रतिशत)		कुल वर्तमान आवंटन (35 प्रतिशत)	
			जलक्षेत्र (हे०)	अनुदान राशि	वर्तमान आवंटन (35 प्रतिशत)	जलक्षेत्र (हे०)	अनुदान राशि	वर्तमान आवंटन (35 प्रतिशत)		स्वीकृत राशि	वर्तमान आवंटन (35 प्रतिशत)	स्वीकृत राशि	वर्तमान आवंटन (35 प्रतिशत)	जलक्षेत्र (हे०)	अनुदान राशि		जलक्षेत्र (हे०)	अनुदान राशि		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
17	भागलपुर	निदेशक मत्स्य, बिहार, पटना।	15.00	65.25000	22.83750	5.00	30.45000	10.65750	33.49500	2.69300	0.94255	0.53000	0.18550	1.00	6.09000	2.13150	1	6.09000	2.13150	
18	बेगुसराय		16.00	69.60000	24.36000	2.00	12.18000	4.26300	28.62300	1.68300	0.58905	0.34000	0.11900	2.00	12.18000	4.26300			0.00000	
19	खगड़िया		20.00	87.00000	30.45000	10.00	60.90000	21.31500	51.76500	2.94600	1.03110	0.58000	0.20300	5.00	30.45000	10.65750			0.00000	
20	गोपालगंज		20.00	87.00000	30.45000	10.00	60.90000	21.31500	51.76500	3.03000	1.06050	0.60000	0.21000	5.00	30.45000	10.65750	1	6.09000	2.13150	
21	सिवान		15.00	65.25000	22.83750	5.00	30.45000	10.65750	33.49500	2.02000	0.70700	0.40000	0.14000	3.00	18.27000	6.39450	1	6.09000	2.13150	
22	सारण		15.00	65.25000	22.83750	5.00	30.45000	10.65750	33.49500	2.18800	0.76580	0.43000	0.15050	1.00	6.09000	2.13150			0.00000	
कुल योग			342.00	1487.70000	520.69500	178.00	1084.02000	379.40700	900.10200	50.50000	17.67500	10.00000	3.50000	71.00	432.39000	151.33650	9.00	54.81000	19.18350	

नोट-संबंधित जिलों को लक्ष्य के अनुसार बी०एल०डी०ए० के माध्यम से राशि उपलब्ध करायी जाएगी।

निदेशक मत्स्य